2. वर्ष 2016–17 से सभी छात्रों को अपने आवेदन पत्र में आधार नम्बर तथा नवीनीकरण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ–साथ एनरोलमेन्ट नम्बर भरना अनिवार्य है।
3. यदि कोई छात्र/छात्रा वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह अगले वर्ष छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह हो जायेगा।
4. यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।
5. छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आवेदन पत्र में बैंक का नाम एवं खाता संख्या वाराणसी जनपद का ही मान्य होगा।
6. छात्र/छात्रा को आवेदन भरते समय **दोनों सेमेस्टर की नानरिफेन्डेवुल फीस जोड़कर भरनी अनिवार्य है।**
7. **अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र जिनका एडमिशन शुल्क मुक्त हुआ है उन्हें भी नानरिफेन्डवुल फीस भरना अनिवार्य होगा (फीस रसीद की कोई आवश्यकता नही है) तथा नानरिफेन्डेवुल फीस उ0प्र0 शासन से प्राप्त होने के पश्चात् संस्था में जमा करने के लिये छात्र को निदेर्शित करें। उनकी अगले वर्ष की छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति आवेदन पत्र तभी अग्रसारित करे जबतक की छात्र नानरिफेन्डेवुल फीस विभागों में जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत न कर दें।**
8. **यदि कोई अनुसूचित जाति/जन जाति का छात्र पिछले वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण है एवं उसका प्रवेश निःशुल्क ली गई है तो ऐसे छात्र को पहले वर्ष में न ली गई फीस वापस कराये तथा दूसरे वर्ष में फीस से मुक्त न करें।**
9. एक कोर्स के लिये एक ही आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। दूसरा आय प्रमाण पत्र जमा न लिया जाय।
10. छात्र द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र जमा करने के 7 दिन के अन्दर ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित अवश्य करें ताकि छात्र के आवेदन पत्र में पाई गई त्रुटि निर्धारित समयावधि में सुधार के लिये अवसर प्राप्त हो सके।

उपरोक्त बिन्दुओं से छात्र/छात्राओं को सूचना पटल के माध्यम से अवश्य अवगत् कराये एवं आवश्यक निर्देशों का पालन मुख्य दायित्वों के साथ सुनिश्चित कराये।

भवदीय,

संजय 18.6.16

संयुक्त कुलसचिव (विकास)

18/6/16

नोट – **संबंधित संस्थानों/संकाय प्रमुखों से आग्रह है कि विन्दु संख्या 7 व 8 पर उल्लिखित निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराये तथा उनके अगले सत्र की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र उपरोक्त शर्तें पूर्ण होने पर ही अग्रसारित करें।**

उत्तर प्रदेश शासनादेशानुसार सत्र 2016–17 में छात्रवृत्ति/शुल्कपूर्ति हेतु आवेदित छात्र/छात्राओं के लिये आवश्यक निर्देश :–

1. अर्ह छात्र/छात्रायें 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 2016 तक ऑनलाईन आवेदन करें।
2. प्रत्येक दशा में पिछलें सत्र में आवेदित छात्र/छात्रायें स्कालरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन नवीनीकरण करे। नये आवेदन निरस्त समझा जायेगा।
3. ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाईनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन दिन के अन्दर आवेदन में हुई कतिपय त्रुटियों को पूर्ण करके ही प्रिन्ट निकाले।
4. शासन द्वारा यह व्यवस्था है कि राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदेहास्पद डाटा कारणों सहित छात्र के लागिन पर 01 से 10 नवम्बर तक प्रदर्शित किया जायेगा और ऑनलाईन आवेदन में की गई त्रुटियों को ठीक करने के उपरान्त आवेदन का प्रिन्ट आउट निकालकर वांछित अभिलेखों सहित शिक्षण संस्थान में 03 दिन के अन्दर विलम्वतम् दिनांक 13 नवम्बर, 2016 तक अवश्य जमा करें।
5. वर्ष 2016–17 में अपने आवेदन पत्र में आधार नम्बर तथा नवीनीकरण के छात्रों का आधार नम्बर के साथ–साथ एनरोलमेन्ट नम्बर भरना अनिवार्य होगा।
6. सभी छात्र/छात्रायें आवेदन भरते समय **दोनों सेमेस्टर की नानरिफेन्डेबल फीस जोड़कर अवश्य भरे।**
7. आवेदन पत्र भरते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को भी संस्था द्वारा न ली गई नानरिफेन्डेबल फीस (दोनों सेमेस्टर ज़ोड़कर) अवश्य अंकित करे। इनको फीस रसीद की प्रति जमा करना अनिवार्य नही है।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र संस्था द्वारा न ली गई नानरिफेन्डेबल फीस उत्तर प्रदेश शासन से बैंक खाते में स्थानान्तरित होने के बाद संस्था में अवश्य जमा करें।
9. सभी छात्र/छात्राओं को आवेदन पत्र में बैंक खाता नम्बर वाराणसी जनपद का ही मान्य होगा।
10. आवेदन पत्र की फाईनल प्रिन्ट आउट निकालने के 7 दिन के अन्दर सभी वांछित अभिलेखों सहित संस्था में अवश्य जमा करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।
11. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है या उनके गलतियों के कारण आवेदन पत्र निरस्त होता है तो वह अगले वर्ष छात्रवृत्ति/शुल्कप्रर्तिपूर्ति हेतु पात्र नही होगा। इस दशा में अनुसूचित जाति/जनजाति से संस्था द्वारा न ली गई नानरिफेन्डेबल फीस विभाग में जमा करने के लिये बाध्य होना होगा।
12. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उस दशा में पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ दिया जाना माना जायेगा तो भी निःशुल्क प्रवेशित छात्र को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस करनी होगी।

****

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
BANARAS HINDU UNIVERSITY
An Institution of National Importance Established by an Act of Parliament

कुलसचिव कार्यालय
(विकास)
OFFICE OF THE REGISTRAR
(DEVELOPMENT)

पत्रांकः आर. / डेव.(यू.पी. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) / 2016–17 / 18525   दिनांकः 17.06.2016

समस्त निदेशक,
समस्त संकाय प्रमुख,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कोआर्डिनेटर / प्राचार्या महिला महाविद्यालय,
सहायक कुलसचिव, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

महोदय / महोदया,

उत्तर प्रदेश निदेशालय के पत्र संख्या 99 / 2016 / आर–1338 / 26–03–2016–4 (358) / 07 टी. सी. III दिनांक 30.04.2016 के निर्देशानुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र / छात्राओं हेतु शैक्षिक सत्र 2016–17 के लिये निम्नवत् समय सारिणी निर्गत की गई है :–

कम संख्या	प्रतियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की समयावधि
1.	छात्र / छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना	1 जुलाई से 30 सितम्बर 2016 तक
2.	छात्र द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना	छात्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाईनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में
3.	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र / छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 7 दिन के अन्दर विलम्बतम 7 अक्टूबर, 2016 तक
4.	शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	1 जुलाई से 14 अक्टूबर 2016 तक
5.	संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र / छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	1 नवम्बर से 10 नवम्बर, 2016 तक
6.	ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी वांछित संलग्कों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	विलम्बतम 13 नवम्बर, 2016 तक
7.	त्रुटियों को ठीक करके, जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित करना	1 नवम्बर, 2016 से 16 नवम्बर, 2016 तक

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्रांक 3815 / प्र.स.स.क. / 2016 दिनांक 04 मई, 2016 द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत नियमावली में परिभाषित किये गये शिक्षण संस्थान के दायित्वों के अनुरूप प्रमुख विन्दु निम्नवत् है :–

1. पिछले सत्र में आवेदित छात्र / छात्राओं को वर्तमान सत्र 2016–17 में छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीनीकरण के लिये निदेर्शित करें। नये आवेदन को निरस्त कर दें।

VARANASI – 221 005
T: (0542) 2368404, 2307270, 6701706
F: (0542) 2368174;
E: drdev.bhu@gmail.com
W: www.bhu.ac.in

BHU
capital of knowledge
Up Gov Sch. 2015-2016 letter pad